न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :– 26/2017

आरसीएमएस नम्बर :– 2017/00144

उनवान प्रकरण

अजमेरसिंह पुत्र हरिविलास जाति लोधा निवासी ग्राम जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार बसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..................रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 10.11.2017
मु0नं0 11/2017 सरकार बनाम अजमेरसिंह
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
नायव तहसीलदार बसईनबाव

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 27.07.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 973 रकवा 4 विस्वा किस्म गैर मुमकिन झेरा बॉके ग्राम जारौली तहसील सैपऊ में सम्बत 2074 में फसल खरीफ में 10X10 वर्गफीट में कूप तथा 5X5 वर्गफीट में चारा मीशन लगाकर अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2017 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि नायव तहसीलदार बसईनबाव द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की जॉच पडताल नहीं की तथा यह भी जानकारी नहीं की कि जो विवादित आराजी है वह अपीलान्ट की आराजी बीचों बीच स्थित है तथा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर में अपीलान्ट के पूर्व पुरूषों द्वारा काफी पुराने समय से कुआ बना रखा है जिससे अपीलांट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

के पूर्व पुरूष एवं अपीलान्ट अपनी आराजी को हमेशा हमेश से सिचाई करते चले आ रहे है उपरोक्त आराजी कभी भी जलमग्न (क्षेरा) नहीं रही है। अपीलान्ट की जवावदेही को पूर्णतः नजर अंदाज कर गुणावगुण पर निर्णय पारित न कर कानूनी व वाक्याती भूल की है। उपरोक्त आराजी को अपीलान्ट अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने एवं उपरोक्त खसरा नम्बर को अपीलांट की खातेदारी में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 973 किस्म गैरमुमकिन झेरा में किसी प्रकार का कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं किया है उक्त खसरा नम्बर अपीलान्ट के मकान के सामने है जिसमें अपीलान्ट एवं उसके परिवारीजनों का मकान के लिये आवागमन रहता है। विवादित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी के बीचों बीच स्थित है तथा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर में अपीलान्ट के पूर्व पुरूषों द्वारा काफी पुराने समय से कुआ बना रखा है जिससे अपीलांन्ट के पूर्व पुरूष एवं अपीलान्ट अपनी आराजी को हमेशा हमेश से सिचाई करते चले आ रहे है उपरोक्त आराजी कभी भी जलमग्न (क्षेरा) नहीं रही है। अपीलान्ट की जबावदेही को पूर्णतः नजर अंदाज कर गुणावगुण पर निर्णय पारित न कर कानूनी व वाक्याती भूल की है। उपरोक्त आराजी को अपीलान्ट अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त खसरा नम्बर मय कुआ के अपीलान्ट के हक में नियमन की सिफारिस की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी में सम्बत 2074 फसल खरीफ में 10X10 वर्गफीट में कूप तथा 5X5 वर्गफीट भूमि में चारा मीशन लगाकर कब्जा किया है। अतिक्रमी के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा की गयी अतिक्रमण की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव दिनांक 10.11.2017 को स्वीकार किया है कि अतिक्रमण अस्थायी प्रकृति का है जिससे अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होता है। चूंकि विवादित आराजी गैरमुमकिन झेरा के रूप में किस्म दर्ज है जो पानी के नीचे डूबी भूमि की श्रेणी में आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में नियमन आवंटन के लिये प्रतिबन्धित है। इस भूमि पर अतिक्रमी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलान्ट की विवादित भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर नियमन/खातेदारी अधिकार चाहते है। विधि अनुसार धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं दिए जा सकते है, अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर अपना अधिकार मानते है तो सक्षम न्यायालय से धोषणा कराने को स्वतन्त्र है। हमारे समक्ष यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट का बिना कोई वैध अधिकार कब्जा है। चूंकि विवादित आराजी गैरमुमकिन झेरा के रूप में किस्म दर्ज है जो पानी के नीचे डूबी भूमि की श्रेणी में आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में नियमन आवंटन के लिये प्रतिबन्धित है। अतः हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner